18/10/2023

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। प्रा०पत्र में अंकित तथ्यों एवं पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का अवलोकन कर गहनता से मनन किया गया। वकील प्रार्थी की बहस के दौरान दी दलीलें से हम संतुष्ट है। प्रार्थी का प्रा०पत्र धारा-128 बाबत पत्थरमढ़ी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रा०पत्र धारा-128 स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाता है। प्रा०पत्र धारा-128 का निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय की इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शामिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Deepak Singh Khatana
Date: 2024.02.13 11:37:36 IST
Reason: SelfAttested